RAJYA SABHA

Wednesday, the 27th July, 2005/5 *Sravana,* 1927 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,

Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Surrender policy of Government for militants

*41. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the surrender policy of Government for members of militant/terrorist outfits who eschew violence and intend to return to the mainstream civil society;

(b) whether it is uniform in all the affected States or is at variance from one State to another;

(c) whether distinctions, if any, are made between surrendering members belonging to outfits which have been operating at the behest of or linked to foreign espionage agencies and those who took to arms in pursuance of extremist ideological doctrines and /or fight against policies of Government perceived to be unjust;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS(SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State of J&K, North Eastern States and major naxalite affected States have Surrender-cum-Rehabilitation Schemes for terrorists who want to shun violence and join the mainstream. While the Schemes in J&K and North Eastern States are identical, there are some variations in the Schemes

being implemented in naxalite affected States. The benefits of these Schemes are, however, not available to foreign terrorists and espionage agents.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: माननीय सभापति जी, सरेन्डर एंड रीहैबिलिटेशन पॉलिसी 1 अप्रैल, 1998 को शुरू की गई थी और इसमें आया कि खासकर कश्मीर एवं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फेक सरेन्डर्स हो रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी, गरीबी और पुलिस के द्वारा बहुत तरह के जो दबाव बनते हैं या आर्मी का दबाव बनता है, उससे बचने का एक ही रास्ता ढूंढ़ते हुए फेक सरेन्डर पॉलिसी आती है क्योंकि फिर पुलिस से सीधा सम्पर्क बना रहता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू-कश्मीर एवं नॉर्थ ईस्ट में कितने फेक सरेन्डर्स आज तक डिटेक्ट किए हैं या इन्हें डिटेक्ट करने का क्या मेकेनिज्म आपके पास है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, यह सरेन्डर पर है, फेक एन्काउन्टर पर नहीं है और मेरे पास फेक एन्काउन्टर (व्यवधान)...।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: नहीं-नहीं, मैं फेक सरेन्डर पर बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: फेक सरेन्डर पर कह रहे हैं।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से फेक सरेन्डर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन्स आई थीं, उनके बारे में हमने ऐक्शन लिया था।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, पत्रकारों ने आज तक इस बारे में सरकार का खंडन नहीं छापा है। समाचार पत्रों में जब ये सारी चीज़ें छपीं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा सरकार बनने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर एवं नॉर्थ-ईस्ट में जो सरेन्डर करवाए गए और वहां पर फोटोग्राफर्स एवं जर्नलिस्ट्स के द्वारा बाकायदा फोटोग्राफ्स दिखाए गए कि यही आदमी एक जगह रिवॉल्वर लेकर सरेन्डर कर रहा है तो दूसरी जगह उसे ए॰के॰ 47 सरेन्डर करते हुए दिखाया गया है, लेकिन सरकार से इसका कोई खंडन नहीं आया है और बार-बार पत्रकार उस पर लिख रहे हैं कि ये फेक सरेन्डर हैं, इसके बारे में सरकार का क्या कहना एवं क्या सोचना है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, हमारे देश में लाखों की संख्या में वर्तमान में पत्र एवं पत्रिकाएं हैं और जो भी इन वर्तमान पत्र एवं पत्रिकाओं में आता है, उससे हमें अवश्य मदद मिलती है और उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन हर चीज़ जो वर्तमान पत्रों में आती है, उसका खंडन करना जरूरी है, ऐसा कहना मुश्किल हो जाता है। जहां तक मुझे मालूम है कि जम्मू एवं कश्मीर में जिन लोगों के द्वारा इन्हें हमारे पास लाया गया था, वह गलत तरीके से लाया गया था, जब हमें यह समझ

में आया तो उसके ऊपर कार्यवाही की गई। इस सरेन्डर और रीहैबिलिटेशन की पॉलिसी की वजह से करीब-करीब 4000 टेरोरिस्ट्स ने वहां पर सरेन्डर किया। या उनको पकड़ने के लिए पैसे खर्च करने के बजाए अगर बेकार होने की वजह से या आर्थिक मजबूरी की वजह से कोई इस रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको वापिस लाना चाहिए, इस पर चर्चा स्टेट लेवल के नेताओं ने की, वहां के लोगों ने की, पत्रकारों ने भी की और यह उनको एक पौलिसी बनाकर दे दी कि अगर आपको ऐसा लगे जांच-पड़ताल करने के बाद और पूछताछ पूरी करने के बाद कि मजबूरी से वह टेरोरिस्ट बना हुआ है और वह वापिस आना चाहता है और दूसरे शहरी लोगों जैसा जीवन बिताना चाहता है, तो समाज और सरकार को भी उसको मदद करना चाहिए, इसलिए किया गया है। अगर इसमें कोई गलती हो गई है, कोई कर रहा है तो हम स्टेट गवर्नमेंट को देखने के लिए जरूर कहेंगे और यह स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, अभी-अभी आपने बताया कि कार्रवाई की गई है। तो क्या कार्रवाई की गई जो गलत तरीके से लेकर आए थे...**(व्यवधान)** पहले बताया गया कि कार्रवाई की गई है।...(व्यवधान)

SHRI LALHMING LIANA: Mr. Chairman, Sir, 195 armed militants of BNLF, who were operating in the North East, surrendered to the Government of Mizoram day-before-yesterday, that is, on 25th of this month. Sir, through you, I want to know from the hon. Home Minister the details of the rehabilitation scheme for these surrendered BNLF militants.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, we are very happy that in Mizoram surrender by militants has taken place, many of them have laid down their arms and surrendered. The Government of Mizoram; the Chief Minister and others have been responsible for this, and I would like to congratulate them for this. We would like to extend help to the surrenderers. We want to see that they join the mainstream and lead an ordinary life there. A scheme which is being followed in the North Eastern States shall be applicable to them also. If there is anything more that is to be done or is required to be done, and if that could be treated as proper, that would also be done.

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन टेरोरिस्ट्स ने अब तक सरंडर किया है, क्या ऐसे सरंडर करने वाले टेरोरिस्ट्स को पुलिस विभाग अथवा जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो ऐसे कितने टेरोरिस्ट हैं जिन्होंने सरंडर किया है और उनको नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं, तो क्या माननीय गृह मंत्री जी इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, हमारी जो पौलिसी है वह पहले सरंडर करते हैं, उनको तीन साल के लिए कैम्प में रखा जाता है और उनको दो हजार रुपए के हिसाब से तनख्वाह भी दी जाती है; उनको ट्रेंड किया जाता है अलग-अलग काम के लिए, जिसमें कोई मकेनिक हो, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, उनको ट्रेंड किया जाता है। अब यह पुलिस में भर्ती करने का काम जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। मगर आसाम में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक हजार लोगों ने सरेन्डर किया था और उनको पुलिस में भर्ती करने की बात उसमें हुई थी। अभी साढ़े पांच सौ लोगों की उसमें हुई है, बाकी के लोगों की हमने नहीं की है। हमने कह दिया है कि कोई नौजवान आदमी, हट्टा-कट्टा आदमी, एक मजबूर आदमी जिसको थोड़ी सी एडवेंचर की इच्छा है वह सही तरीके का एडवेंचर जिसको करना जरूरी है तो उनको करने के लिए कहा है। यहां पर मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, मैं लेकर आपको दे दूंगा।

SHRI MATILAL SARKAR: Mr. Chairman, Sir, during the last 2-3 years a good number of extremists have surrendered in Tripura, both to the Central Government and to the State Government. But, their rehabilitation work requires a large amount of money, and the State Government have already furnished proposals to the Centre. A large amount is due to be received by the State Government. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, whether this sanction will be expedited.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Generally, this amount is given under security-related schemes. The schemes have been prepared by the State Governments. We have given them the liberty to prepare the schemes. They are brought to the notice of the Union Government and after the approval is given, they implement the scheme. After that, reimbursement is done. If there is any amount of money due to Tripura State, that amount of money shall be given to them. But as far as my information goes, nothing of this kind is pending and if it is pending, we will expedite it.

SHRI MATILAL SARKAR: It is pending, Sir.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Threat of terrorist attacks

*42. SHRI ANAND SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the threat of terrorist attacks on national monuments and temple townships; and